जाता है । इस राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या होने के कारण भारतीय खाद्य निगम के जम्मू में स्थित कार्यालय में स्टाक की प्राप्ति की पावती विलम्ब से प्राप्त हो रही है । वर्ष 1989-90 से दिसम्बर, 1993 तक की अवधि के दौरान 895 ट्रकों का पुनर्मिलान नहीं हो पाया था । इनमें से 128 ट्रकों का पुनर्मिलान हो चुका है और 116 ट्रकों का मामला स्थानीय पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भेज दिया गया है क्योंकि इनके संदेहास्पद परिस्थितियों में गायब हो जाने का संदेह है । ट्रकों का पुनर्मिलान करना एक निरन्तर और नियमित प्रक्रिया है ।

राज्यों को चीनी का आवंटन

1605. **श्री जगन्नाथ सिंह** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को चीनी का प्रतिमाह कितना-कितना कोटा दिया जा रहा है और इस आबंटन का मानदंड क्या है;

(ख) क्या राज्य को चीनी का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है,

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 6,61,35,862 की जनसंख्या के आधार पर चीनी का आबंटन कब से किया जायेगा ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश ने चीनी के कोटे में वृद्धि की मांग की है; यदि हां, तो यह वृद्धि कब से की जायेगी; और

(ङ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को चीनी का कोटा वर्ष 1986 की जनसंख्या में मात्र 5.1 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर दिया जा रहा है, यदि हां, तो वर्ष 1986 और 1991 की अवधि के बीच बढ़ी जनसंख्या को चीनी वितरण की क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी की चीनी का आवंटन 1-10-1986 की प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के समान मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है । ये मानदंड 1-2-1987 से लागू है । तदनुसार, पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए लेवी चीनी की लगभग 3.35 लाख टन मात्रा रिलीज की जा रही है । उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार प्रति वर्ष लगभग 1 लाख टन लेवी चीनी त्यौहार कोटे के रूप में रिलीज करती है जो सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को उनके मासिक लेवी आबंटन के समानुपात में आबंटित किया जाता है । सरकार ने अगस्त, 1991 से सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के मासिक लेवी चीनी आबंटन में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की मंजूरी भी दे दी है जो अभी भी जारी है । उपर्युक्त के आधार पर मध्य प्रदेश को लेवी चीनी का आवंटन निम्नानुसार है :—

(i) सामान्य मासिक कोटा	25031 मी० टन
(ii) 5 प्रतिशत तदर्थ वृद्धि (अगस्त, 1991 से स्वीकृत)	1252 मी० टन
(iii) प्रत्येक वर्ष के लिए त्यौहार कोटा	7536 मी० टन

राज्यवार सामान्य मासिक कोटा, मासिक कोटे में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि और प्रतिवर्ष का त्यौहार कोटा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (नीचे देखिए) ।

(ग) इस समय देश में लेवी की चीनी की सीमित उपलब्धता के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1991 की जनगणना की जनसंख्या के अनुसार लेवी चीनी का आबंटन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) लेवी चीनी का कोटा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कोई मांग नहीं की गई है।

(ङ) लेवी की चीनी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए 1986 से 1991 के बीच बढ़ी जनसंख्या के लिए लेवी चीनी का आबंटन करना इस समय संभव नहीं होगा ।

विवरण

लेवी चीनी कोटा, 5 प्रतिशत की तदर्थ अतिरिक्त वृद्धि और त्यौहार कोटा दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य मासिक कोटा	5 प्रतिशत मासिक तदर्थ वृद्धि (अगस्त, 1991 से स्वीकृत)	प्रत्येक वर्ष के लिए त्यौहार कोटा
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	25281	1264	7614
2	अंडमान निकोबार	247	12	74
3	अरुणाचल प्रदेश	314	16	94
4	आसाम	9617	481	2896
5	बिहार	33459	1673	10078
6	चंडीगढ़	372	19	112
7	दादरा तथा नगर हवेली	51	3	14
8	दिल्ली	8721+*1200=**9921	436	2316
9	गोआ	500	25	150
10	दमन	24	1	12
11	दीव	15	1	
12	गुजरात	16194	810	4878
13	हरियाणा	6386	319	1924
14	हिमाचल प्रदेश	2019	101	608
15	जम्मू व कश्मीर	2884+252=*†3136	144	868
16	कर्नाटक	17769	888	535
17	केरल	11953	598	3600
18	लक्षद्वीप	71	4	22
19	मध्य प्रदेश	25031	1252	7536
20	महाराष्ट्र	29938	1497	9014
21	मणीपुर	694	35	208
22	मेघालय	662	33	200
23	मिजोरम	261	13	78

1	2	3	4	5
24	नागालैण्ड	426	21	128
25	उड़ीसा	12393	620	3730
26	पांडिचेरी	305*†	15.2	64
27	कैरीकल	73	3.7	18
28	माह	15	0.7	4
29	यनम	7	0.4	2
30	पंजाब	7945	397	2392
31	राजस्थान	16914	846	5092
32	सिक्किम	165	8	50
33	तमिलनाडु	22547	1127	6790
34	त्रिपुरा	1001	50	302
35	उत्तर प्रदेश	52926	2646	15936
36	पश्चिमी बंगाल	25888	1294	7796
	योग	334520	16654	99950

*इसमें मई, 1990 से आगे दिल्ली के कोटे में की गई 1032 टन की वृद्धि तथा पांडिचेरी के कोटे में 108 टन की वृद्धि शामिल है।

**इसमें जुलाई, 1993 से बढ़ाई गई 1200 टन की मात्रा शामिल है।

†फरवरी, 1994 से बढ़ाई गई 252 टन की मात्रा शामिल है ।

Sugar Factories in A.P.

1606. DR. YELAMANCHILI SIVAJI :

Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) how many applications seeking letters of intent to locate sugar factories in Andhra Pradesh are pending;

(b) since how long they are pending;

(c) how many of them are recommended by the State Government; and

(d) what are the reasons for the abnormal delay in clearing them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) to (d) 97 applications have been received, as on 31-12-1993, from Andhra Pradesh through the Department of Industrial Development for setting up of new sugar factories in that State. Out of these, 71 applications were recommended by the State Government. All applications have been Scrutinised by the Screening Committee in the Ministry of Food. After examination, recommendations of the Ministry of Food have been sent to the Ministry of Industry where these have been considered by the Licensing Committee. The letters of intent would be issued by the Ministry of Industry.

महाराष्ट्र में चीनी मिलें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव

1607. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के राज्य-वार कितने-कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं;